धार एक्सप्रेस
राज एक्सप्रेस
बुधवार, 9 सितम्बर 2026

गांव की गलियों से पंचायत भवन तक...

क्या 16वां वित्त आयोग बनेगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आधार?

● डही / राज न्यूज नेटवर्क

16वें वित्त आयोग के तहत मध्यप्रदेश की ग्रामीण पंचायतों को अगले पांच वर्षों में मिलने वाली करीब 32 हजार करोड़ रुपए की राशि अब मनमाने ढंग से खर्च नहीं की जा सकेगी वर्तमान मे जो सिस्टम पैसे आहरण में चलता है,

मानदेय, टीए-डीए और समारोहों पर रोक से पंचायत प्रतिनिधियों में बढ़ सकती है नाराजगी,अब जनता से जुड़े कामों पर ही खर्च होगी बड़ी राशि

पैसा निकालने के सालों बाद तक काम नही होता है, ऐसे में सरपंचों के जेब, ऐश और आराम पर प्रभाव पड़ेगा या फिर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने का कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पंचायतों को राशि के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2026-27 से 2030-31 की अवधि में करीब ?32,033 करोड़ के अनुदान का प्रावधान है।

मानदेय से लेकर समारोह तक पर लगाम

नई व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सरपंचों के मानदेय, वाहनों, टीए-डीए सहित कई मदों में इस निधि से खर्च की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं अभिनंदन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट, विज्ञापन और उद्घाटन जैसे आयोजनों पर भी पंचायत निधि खर्च नहीं की जा सकेगी। सवाल यह है कि वर्षों से पंचायत स्तर पर होने वाले ऐसे खर्चों पर अब अंकुश लगेगा तो क्या वास्तव में पंचायत की एक-एक पाई गांव के विकास और ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों पर खर्च होगी?

80 फीसदी राशि बुनियादी जरूरतों के लिए

16वें वित्त आयोग की व्यवस्था में स्थानीय निकाय अनुदान को 80 प्रतिशत बेसिक और 20 प्रतिशत प्रदर्शन आधारित हिस्से में बांटा गया है। बेसिक ग्रांट के आधे हिस्से को पेयजल और स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़ा गया है। इसका मतलब साफ है अब पंचायतों के सामने नाली, पेयजल, जल संरक्षण, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की चुनौती होगी

75 प्रतिशत पंचायतों का प्रदर्शन भी बनेगा पैमाना

प्रदर्शन आधारित 20 प्रतिशत राशि भी आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए पंचायतों को निर्धारित प्रदर्शन मानकों पर खरा उतरना होगा। यानी अब केवल पंचायत गठित होना पर्याप्त नहीं होगा, इसके अलावा अनुदान प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों के गठन, खातों को सार्वजनिक करने और राज्य वित्त आयोग से जुड़े निर्धारित मानकों जैसी प्रवेश-स्तरीय शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं।

अब पंचायतों के सामने असली परीक्षा

डही सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से पेयजल, नाली, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ओर इस क्षेत्र में पहले रूपया निकल जाता है वर्षों बाद कार्य को अन्जाम दिया जाता है। ऐसे में 16वें वित्त आयोग की राशि यदि वास्तव में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार खर्च होती है तो गांवों की तस्वीर बदल सकती है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है

क्या पंचायतों में इस भारी-भरकम राशि की पारदर्शिता से निगरानी होगी? क्या ग्रामीणों को पता चलेगा कि उनकी पंचायत को कितनी राशि मिली और कहां खर्च हुई? क्या हर काम का हिसाब सार्वजनिक होगा?क्योंकि 32 हजार करोड़ की राशि केवल सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि गांवों के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि यह पैसा कागजों पर विकास दिखाता है या वास्तव में गांव की गलियों, नालियों और घरों तक विकास पहुंचाता है।

भोपाल के मार्गदर्शन तक वनरक्षकों को राहत

कर्मचारी बोले- जंगल की ड्यूटी घड़ी देखकर नहीं चलती है, पहले संसाधन और सुरक्षा दें

● धार / राज न्यूज नेटवर्क

धार वन मंडल में ई-एचआरएमएस और वनरक्षक ऐप के जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलहाल थम गया है। वन मंडलाधिकारी विजयानंथम टीआर और राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद फील्ड स्टाफ की ऐप आधारित उपस्थिति पर भोपाल मुख्यालय से मार्गदर्शन मिलने तक रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद वनरक्षकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन व्यवस्था लागू करने के तरीके को लेकर डीएफओ की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि जंगल में वनरक्षकों की ड्यूटी सामान्य दफ्तर की तरह निर्धारित समय में खत्म नहीं होती। कई बार दिन के साथ रात में भी गश्त करनी पड़ती है। ऐसे में पंच-इन और पंच-आउट की समयबद्ध व्यवस्था व्यवहारिक परेशानी पैदा कर सकती है। दूरदराज के जंगलों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या अलग है। कई कर्मचारियों के पास सरकारी मोबाइल और पर्याप्त डेटा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में तकनीकी कारणों से हाजिरी दर्ज नहीं हुई तो कर्मचारी के वेतन पर असर

फोटो धार0912 : वनकर्मी।

पड़ने की आशंका है।

दफ्तर में ऐप से हाजिरी, जंगल में रजिस्टर जारी

डीएफओ विजयानंथम टीआर के अनुसार भोपाल मुख्यालय का मार्गदर्शन आने तक फील्ड कर्मचारियों की ऐप आधारित उपस्थिति पर रोक रहेगी। वनरक्षक फिलहाल पहले की तरह रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करेंगे। वहीं दफ्तरी कर्मचारियों के लिए ऐप से उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। छुट्टी, एसीआर और एपीएआर से संबंधित प्रक्रिया भी ऐप के माध्यम से जारी रहेगी।

वन विभाग का कहना है कि वनों में अतिक्रमण और अवैध कटाई रोकने के लिए पैदल और रात्रि गश्त प्रभावित नहीं होगी। वनरक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विभागीय नियम-कानून के साथ तकनीकी जानकारी भी शामिल होती है। टाइगर रिजर्व में एम-स्ट्रीप्स जैसे तकनीकी माध्यम पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

संघ बोला- तकनीक से परहेज नहीं, व्यवस्था पहले दुरुस्त करें

राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र राठौर और जिला अध्यक्ष विनोद राठौर ने कहा कि कर्मचारी तकनीक के विरोध में नहीं हैं। उनकी मांग है कि ऐप लागू करने से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण, सरकारी मोबाइल, डेटा और नेटवर्क की सुविधा दी जाए। तकनीकी खामी के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संघ ने वनकर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों का कहना है कि जंगल में अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी रोकने के दौरान वनकर्मियों को जोखिम उठाना पड़ता है। ऐसे में विभाग को केवल डिजिटल हाजिरी पर जोर देने के बजाय कर्मचारियों की सुरक्षा, संसाधन और मैदानी परिस्थितियों पर भी प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। भोपाल से आने वाले मार्गदर्शन के बाद ही अब तय होगा कि फील्ड स्टाफ की ऐप आधारित उपस्थिति किस व्यवस्था के तहत लागू होगी।

मां नर्मदा की महिमा का किया बखान, चातुर्मास में आराधना और पितृ स्मरण का दिया संदेश

धामनोद। गुजरात के प्रख्यात संत विजयानंद पुरी महाराज का मंगलवार को धामनोद नगर आगमन हुआ। महाराज उज्जैन से नर्मदा तट स्थित अपने आश्रम की ओर जाते समय धामनोद पहुंचे। उनके नगर आगमन की सूचना मिलते ही धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण बन गया। श्रद्धालुओं ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर महाराज का स्वागत-अभिनंदन किया तथा चरण पखारकर आशीर्वाद प्राप्त किया इस अवसर पर संत पूरी महाराज ने मां नर्मदा की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सनातन आस्था और अध्यात्म की जीवंत धारा है। मां नर्मदा के तट पर साधना, सेवा और भक्ति का विशेष महत्व है। नर्मदा दर्शन एवं स्मरण मात्र से मन में श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव जागृत होता है।

संत विजयानंद पुरी महाराज का धामनोद आगमन

उज्जैन में बगलामुखी माता की साधना का केंद्र

महाराज ने अपने उद्बोधन में बताया कि नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर की आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरणा लेते हुए उज्जैन में भी पीतांबरी बगलामुखी देवी मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर धर्मलाभ प्राप्त करते हैं।

चातुर्मास में आराधना और पितृ स्मरण का विशेष महत्व: महाराज ने चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अवधि गृहस्थ, साधु-संत और प्रत्येक धर्मप्रेमी व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन, संयम, साधना और भगवान की आराधना का अवसर है। इस दौरान अपनी दिनचर्या में नियमित पूजा-पाठ को स्थान देना चाहिए।उन्होंने कहा कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को नित्य जल अर्पित करें, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं तथा अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करें। चातुर्मास में किया गया सात्विक आचरण, सेवा, दान और भक्ति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने का माध्यम बनता है।महाराज ने कहा कि धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में सदाचार, सेवा, संयम और श्रद्धा को उतारना ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। चातुर्मास के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में ईश्वर आराधना के साथ जरूरतमंदों की सेवा और सद्कर्मों को भी स्थान देना चाहिए।संत विजयानंद पुरी महाराज के धामनोद आगमन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी लोग उनके दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने महाराज का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके प्रवचन का लाभ लिया।

जिला सलाहकार समिति बैठक संपन्न

● धार / राज न्यूज नेटवर्क

पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एमटीपी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक सीएमएचओ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता सीएमएचओ डॉ. अनिता सिंगारे ने की। बैठक में डॉ. नंदिता निगम, नोडल अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक के ऐजेण्डा पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत जिले में लिंगानुपात की स्थिति, पीसी एण्ड पीएनडीटी एवं एमटीपी अंतर्गत नवीन पंजीयन, संशोधन के लिए आवेदित यूएसजी, एमटीपी सेन्टरों पर किए गए निरीक्षण एवं नोडल अधिकारी द्वारा धामनोद क्षेत्रान्तर्गत पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेन्टर के लिए किए गए निरीक्षण, जिले में वर्तमान पंजीकृत सोनोग्राफी सेन्टरों की जानकारी आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बताया कि वर्तमान में निजी सोनोग्राफी सेन्टरों के आवेदकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के नवीन पंजीयन/संसोधन संबंधी कार्यवाही एमपी ऑनलाईन के एमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रचलित है। जिसमें प्राप्त कुल प्राप्त 9 ऑनलाईन आवेदनों में से अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के नवीन पंजीयन के लिए 2 आवेदन व संशोधन के लिए 7 आवेदन एमआईएस लॉगिन पर प्रदर्शित हो रहे है। साथ ही एमटीपी अंतर्गत नवीन पंजीयन के लिए कुल 1 आवेदन जिला कार्यालय प्राप्त हुए है।

जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिला सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों के साथ आवेदनों के संबंध में विचार विमर्श कर यूएसजी/एमटीपी सेन्टरों के निरीक्षण रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक, अनिवार्य एवं अर्हता संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा की गई एवं नोडल अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण उपरांत नियमानुसार उपयुक्त पाए जाने पर पात्र पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पंजीयन, संशोधन किये का निर्णय लिया गया।

सीएमएचओ द्वारा निर्देशित किया है कि अद्यतन गाईडलाईन अनुसार गठित निरीक्षण दल द्वारा जिले में संचालित समस्त निजी सोनोग्राफी/एमटीपी सेन्टरों का निरीक्षण शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार किया जावे। संचालित सोनोग्राफी/एमटीपी सेन्टर पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार कमी पाई जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

बड़ी खट्टाली में धूमधाम से मनेगा डोला ग्यारस महापर्व, तैयारियों को लेकर बैठक

बड़ी खट्टाली। डोल ग्यारस महापर्व की तैयारियों को लेकर श्रीहरि सत्संग समिति की महत्वपूर्ण बैठक गोपाल गौशाला नानपुर में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और आगामी पर्व को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में डोला ग्यारस के अवसर पर पानी-चाय स्टॉल, तस्वीर-पगड़ी स्टॉल एवं भव्य भजन संध्या आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बाहर से बड़ी खट्टाली आने वाले श्रद्धालुओं एवं भक्तों का आत्मीय स्वागत करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने पर्व को भव्य, व्यवस्थित एवं भक्तिमय बनाने में सहयोग का संकल्प लिया। बैठक के समापन पर समिति की ओर से सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

शर्मा परिवार की पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणादायी मुहिम, 100 पौधों का वृक्षारोपण

जन्मदिवस पर पौधारोपण, हर वर्ष पौधे लगाने किया संकल्प

पौधारोपण करते बालिका।

● धार / राज न्यूज नेटवर्क

आज जहां बच्चों के जन्मदिन पर हजारों रुपये खर्च कर भव्य आयोजन करने का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं धार शहर के निवासी शर्मा परिवार ने बेटी के जन्मदिवस को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणादायी मुहिम से जोड़कर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। बेटी वैदेही शर्मा के माता पिता ने बेटी के 11वें जन्मदिवस पर 100 पौधों के वृक्षारोपण से एक नई पहल शुरू की साथ ही हर वर्ष अपनी दोनों बेटियों के जन्मदिवस पर प्रकृति को सहेजने का प्रण लेते हुए हर वर्ष पौधे लगाने का संकल्प किया है। इसी क्रम में इस संकल्प की शुरुआत के साथ शर्मा परिवार ने अपनी बेटियों के साथ धार शहर के इंदौर नाके स्थित शासकीय विद्यालय क्रमांक 10 एवं वैदेही के निजी विद्यालय बचपन एकेडमीक हाइएस्ट पब्लिक स्कूल में पहुँचकर वैदेही ने बचपन स्कूल में अपनी दोस्तो ओर स्कूल डायरेक्टर घनिष्ट अग्रवाल , रेणु अग्रवाल एवं प्रिंसिपल सोनल अग्रवाल के साथ फलदार पौधे स्कूल परिसर में लगाए तो वही शासकीय विद्यालय क्रमांक 10 में अपने पिता संदीप शर्मा माता राधिका शर्मा और छोटी बहन श्री शर्मा मामा महेंद्रसिंह राठौर के साथ पहुँचकर पीएमश्री विद्यालय की ग्रीन स्कूल टीम के साथ मिल कर पौधारोपण किया। बीआरसी भरतराज राठौर ने बताया कि इस काम का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें पेड़ बनने तक संरक्षित रखना है। साथ ही समाज में ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना भी इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। पौधारोपण के दौरान धार बीआरसी भरतराज राठौर, प्राचार्य किरण गौतम, इंजीनियर नरेश मांगोंदिया, दिनेश बोड़ाने, प्रीति मुकाती,अंजली मुदगल, सोनम सिंघई मौजूद रहे।

बैठक

कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

आमजन को शा. योजनाओं का लाभ समय-सीमा में मिले

● धार / राज न्यूज नेटवर्क

यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय अभियानों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों की प्रगति की बिंदुवार एवं विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए आमजन को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के भू-खण्ड संबंधी अधिकारों को सुरक्षित करने तथा उन्हें संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026' का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्वामित्व योजना से संबंधित अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन 17 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगा। कलेक्टर ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

जिपं जलाएगी आशीर्वाद का दिया

कलेक्टर मीना ने सेवा संकल्प अभियान जो कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा, के संबंध में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के तहत जिला पंचायत को 'आशीर्वाद का दिया' के तहत आयोजित कार्यक्रम में दियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के लिए सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए। 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत के तहत शिक्षा एवं संबंधित विभाग को राष्ट्रव्यापी ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही संस्कृति विभाग को ''नमो सेवा गाथा'' अंतर्गत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाने के निर्देश दिए। इसके लिए कलाकारों को चयनित किए जाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानीय आंगनवाड़ केंद्रों पर 'आनंद का उत्सव' कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।

भारतीय स्टेट बैंक

ई-नीलामी द्वारा वाहन नीलामी की सूचना
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, धार-3 (म.प्र.)
मोबाईल न.: 99772 29480, 9713088550

परिशिष्ट – IV ए (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

ई-नीलामी द्वारा वाहन के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन वाहन के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित उधार लेने वाले और प्रत्याभूति –दाता से बकाया राशि (संबद्ध कॉलम में नीचे वर्णित) की वसूली हेतु दिनांक **16.09.2026** (विक्रय की तारीख) को **समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे** तक बेचा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य नीचे वर्णित है :–

ई–नीलामी दिनांक 16.09.2026, ई–नीलामी का समय : सुबह : 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ

1. निर्माता : कार टाटा पंच ADV 1.2 P , कलर : प्रो मिस्ट, फ्युल: पेट्रोल, निमार्ण वर्ष : 2023, रजिस्ट्रेशन नं. : MP11ZF1634, इंजन नं. REVTRN20PWXMP9160, चेसिस नं. MAT634060PPPM7538, चूककर्ता ऋणी : सुश्री विनिता हांडे पिता दत्तात्रे , आरक्षित मूल्य: 4,35,000/ – (शाखा : धार)

2. निर्माता : कंबाइन हार्वेस्टर (New Deve 4800), कलर : सिन्दुरी, फ्युल: डिजल, निमार्ण वर्ष : 2022, रजिस्ट्रेशन नं. : -----, इंजन नं. PFEZ418054, चेसिस नं. NDAW4800J230218, चूककर्ता ऋणी : कंवरलाल गुर्जर पिता शंकरलाल गुर्जर, आरक्षित मूल्य: 10,00,000/ – (शाखा : बदनावर)

इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **M/s PSB Alliance** के संबंधित ई–नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा । यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी के पूर्व रजिस्ट्रेशन, केवायसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी जमा अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार वाहन पर कोई अन्य भार नहीं है, फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व वाहन से संबंधित किसी भी भार के विषय में संबंधित कार्यालय / विभाग से जानकारी प्राप्त करें। वाहन से संबंधित निर्णय निविदादाता को स्वविवेक से लेना होगा। अंतिम निविदा मूल्य **GST** नियमों के अधीन होगा

ई–नीलामी **''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर एवं ऑनलाइन होगी। ई – नीलामी की प्रक्रिया बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **M/s PSB Alliance द्वारा संचालित की जावेगी। वेब पोर्टल https://baanknet.com** ऑनलाइन नीलामी बिक्री टेंडर दस्तावेज, ऑनलाइन ई–नीलामी निविदा फार्म, घोषणा पत्र, नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर उपलब्ध है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट अर्थात **https://www.sbi.co.in** एवं **https://baanknet.com** (वेबसाईट का ब्योरा) देखें।

यह प्रकाशन ऋणी / जमानतदारों/ बंधककर्ताओं को प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अन्तर्गत 7 दिवसीय सूचना भी है।

वाहन निरीक्षण दिनांक एवं समय : 15.09.2026 तक (पूर्व में लिए गए समय अनुसार), भारतीय स्टेट बैंक धार एवं बदनावर शाखा

स्थान : धार, दिनांक : 08.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, धार